BPSC- Polity

By : Karan Sir

- **नागरिकता से संबंधित सवैधानिक उपबंध (Constitutional Provisions Related to Citizenship) :** भारतीय संविधान के भाग-2 में अनुच्छेद-5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। ये प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि इस द्य राज्यक्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में से भारत के नागरिक कौन होंगे? संविधान में नागरिकता संबंधी बहुत कम प्रावधान दिये गए हैं।

भाग-2 नागरिकता	
अनुच्छेद 5	संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता ।
अनुच्छेद 6	पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
अनुच्छेद 7	पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
अनुच्छेद 8	भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
अनुच्छेद 9	विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।
अनुच्छेद 10	नागरिकों के अधिकारों का बना रहना।
अनुच्छेद 11	संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।

- **संविधान के आरंभ पर नागरिकों के वर्ग (Categories of Citizens in the Beginning of Constitution) :** अनुच्छेद 5 से 8 तक प्रत्येक में नागरिकों के एक विशेष वर्ग का उल्लेख किया गया है। संविधान बनने के बाद 26 जनवरी, 1950 को लागू संविधान के तहत निम्नलिखित चार श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने-

1. **अधिवास द्वारा नागरिकता (Citizenship by domicile):** इसकी चर्चा अनुच्छेद 5 में की गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार ऐस प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास करता है, वह भारत का नागरिक होगा, यदि वह निम्नलिखित तीन में से कोई एक शर्त पूरी करता हो–
   (क) वह भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा हो; अथवा
   (ख) उसके माता-पिता में से कोई एक भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा हो, अथवा
   (ग) वह संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम-से-कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो।
2. **पाकिस्तान से प्रव्रजन (Migration) करके आएं व्यक्तियों की नागरिकता :** संविधान के अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों में से किन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा? ऐसे व्यक्तियों को दो वर्गों में बाँटा गया है–
   (क) जो **19 जुलाई, 1948** से पहले भारत आ गए थे; तथा
   (ख) जो **19 जुलाई, 1948** को या उसके बाद भारत आए हैं।
   19 जुलाई, 1948 की तिथि का महत्त्व यह है कि इसी तिथि से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने-जाने के लिये अनुमति पत्र (Permit) की प्रणाली शुरू की गई थी।
   अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक तभी समझा जाएगा, जब वह दो श पूरी करता हो-
   (क) उसका या उसके माता-पिता अथवा उसके दादा-दादी नाना-नानी में से किसी का जन्म 'भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा परिभाषित भारत के राज्यक्षेत्र में हुआ हो;
   (ख) दूसरी शर्त 19 जुलाई, 1948 से पहले और बाद में प्रव्रजन करने वालों के लिये अलग-अलग है। इस तिथि से पहले आने वाले व्यक्तियों के लिये सिर्फ इतनी शर्त है कि वे आने के बाद से साधारणत: भारत में रह रहे हों। किंतु इस तिथि को या उसके पश्चात् आने वाले व्यक्तियों के लिये जरूरी है कि उन्होंने सक्षम अधिकारी के पास स्वयं को भारत के नागरिक के तौर पर पंजीकृत करा लिया हो। यह पंजीकरण तभी हो सकता है, जब ऐसा व्यक्ति नागरिकता के लिये आवेदन करने की तिथि के 6 महीने पहले से भारत में रह रहा हो।
3. **पाकिस्तान को प्रव्रजन (Migration) करने वाले लोगों की नागरिकता :** संविधान के अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने 1 मार्च, 1947 के पश्चात् भारत से पाकिस्तान के लिये प्रव्रजन कर लिया है. वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा; किंतु यदि वह स्थायी रूप से भारत लौटने के लिये अनुमति (Permit) लेकर वापस आ गया है, तो उसकी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई, 1948 के बाद भारत आने

वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण (Registration) के लिये आवेदन करना होगा और ऐसा आवेदन कम-से-कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही किया जा सकेगा।

4. **भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता :** अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों की नागरिकता का उपबंध करता है जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के निवासी नहीं थे किंतु वे भारतीय मूल के हैं। इसके अनुसार, जिस व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी में से किसी का जन्म 1935 के 'भारत शासन अधिनियम' द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था और जो वर्तमान में साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है; वह भारत का नागरिक समझा जाएगा, यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक या काँसलीय प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता का आवेदन प्रस्तुत करता है और उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण कर लिया जाता है।

1955 को लागू किया और आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन भी किये गए, जो मुख्यत: निम्न हैं-

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1986
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1992
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकारों में अंतर	
भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार	• **अनुच्छेद-15, 16, 19, 29, 30 :** केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। • **अनुच्छेद-15 :** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध। • **अनुच्छेद-16 :** लोक नियोजन में अवसर की समानता • **अनुच्छेद-19 :** वाक् स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। • **अनुच्छेद-29 :** अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। • **अनुच्छेद-30 :** शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।
विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार (भारतीय नागरिक को भी)	• **अनुच्छेद-14, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 :** भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार हैं। • **अनुच्छेद-14 :** विधि के समक्ष समता। • **अनुच्छेद-20 :** अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। • **अनुच्छेद-21 :** प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। • **अनुच्छेद-21A :** शिक्षा का अधिकार (6-14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य (शिक्षा)। • **अनुच्छेद-22 :** कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध के खिलाफ संरक्षण। • **अनुच्छेद-23 :** बलात् कार्य व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। • **अनुच्छेद-24 :** जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल-श्रम आदि का निषेध। • **अनुच्छेद-25-28 :** धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।

नोट :- लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं।

- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख परों पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्ति के पात्र होंगे।

- **कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग (Different Classes of Persons on the Basis of Legal Status) :** 'जनसंख्या' राज्य के चार अनिवार्य घटकों में से एक है। कानूनी दर्जे के आधार पर राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को मुख्यत: 4 भागों में बाँटा जा सकता है-
- **नागरिक (Citizens) :** 'नागरिक' किसी देश के 'पूर्ण सदस्य' होते हैं। वे राज्य तथा संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। उन्हें सभी मूल अधिकार, सिविल अधिकार, राजनीतिक अधिकार व बहुत से कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं तथा उनसे राज्य द्वारा घोषित कर्त्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। कोई व्यक्ति किस देश का नागरिक है, इसकी सामान्य कसौटी यह है कि उसके पास किस देश का पासपोर्ट है या वह किस देश का पासपोर्ट प्राप्त करने की अर्हता रखता है?
- **अन्यदेशीय व्यक्ति (Aliens) :** ये वे व्यक्ति हैं जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं। तकनीकी तौर पर इन्हें शविदेशीश भी कहा जाता है। अन्यदेशीय व्यक्तियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है- 'मित्र अन्यदेशीय' तथा 'शत्रु अन्यदेशीय'।
- **राज्यविहीन व्यक्ति (Stateless Persons) :** यह एक अत्यंत छोटा वर्ग है, जिसमें विरल उदाहरण ही शामिल होते हैं। कई देशों में इस वर्ग में एक भी व्यक्ति नहीं होता। साधारणत: अवैध आप्रवासियों की नई पीढ़ियाँ इस स्थिति में होती हैं।
- **शरणार्थी (Refugees) :** शरणार्थी उन व्यक्तियों को कहा जाता है। जिन्होंने अपने मूल देश में नस्ल, धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचारधारा या सामाजिक पहचान के आधार पर उत्पीड़न सहने या उत्पीड़न के भय के कारण किसी अन्य देश में शरण ली है।
- **भारतीय नागरिकता का स्वरूप (Nature of Indian Citizenship) :** भारत का संविधान एकल नागरिकता (Single citizenship) अर्थात् संपूर्ण देश के लिये एक ही नागरिकता को मान्यता देता है। भारत में दोहरी नागरिकता अर्थात् देश तथा राज्यों की अलग-अलग नागरिकता को नहीं।
- **नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act, 1955) :** 'नागरिकता अधिनियम, 1955' की धारा 3-7 के अंतर्गत 5 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनके आधार पर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये इस प्रकार हैं-

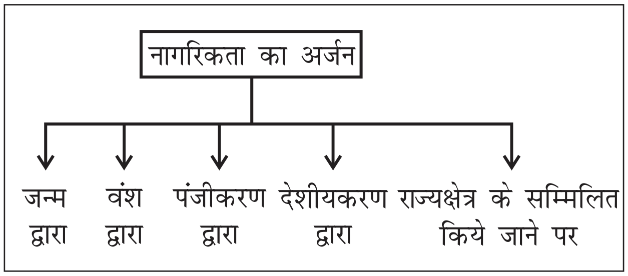

(क) जन्म द्वारा (धारा-3) : 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई, 1987 से पहले भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा। 1 जुलाई, 1987 को या उसके बाद तथा 3 दिसंबर, 2004 से पहले भारत में जन्मा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। 2003 का नागरिकता संशोधन लागू होने के बाद नए प्रावधानानुसार 3 दिसंबर, 2004 को या उसके पश्चात् भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दोनों में से कोई भी अवैध प्रवासी न हो।

(ख) वंश द्वारा (धारा-4) : कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर 26 जनवरी. 1950 को या उसके पश्चात् किंतु 10 दिसंबर, 1992 से पहले जन्मा हो और जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक रहा हो, वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा। 10 दिसंबर, 1992 को या उसके पश्चात् तथा 3 दिसंबर, 2004 से पहले भारत के बाहर जन्मा बच्चा वंश से भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है। 3 जून, 2004 को या उसके बाद इस तरह जन्मे बच्चे का 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में जन्म का पंजीकरण कराना आवश्यक है। साथ ही वह बच्चा किसी अन्य देश का पासपोर्ट न रखता हो।

(ग) जय पंजीकरण द्वारा (धारा-5) : कोई व्यक्ति जो अवैध प्रवासी नहीं है और भारतीय मूल का है अथवा उसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं अथवा जिसका विवाह किसी भारतीय नागरिक से हुआ है और साधारणतया सात वर्षों से भारत में निवास कर रहा है अथवा 5 वर्षों से भारत के समुद्रपारीय 'नागरिक' (Overseas Citizen of India) के रूप में पंजीकृत है और पंजीकरण का आवेदन देने से ठीक एक वर्ष पहले से भारत में रह रहा है, पंजीकरण द्वारा भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर, भारत का नागरिक बन सकता है। शपथ का प्रारूप 'नागरिकता अधिनियम' 1955 की दूसरी अनुसूची में दिया हुआ है।

(घ) देशीयकरण द्वारा (धारा-6) : नागरिकता अधिनियम की धारा 6 में देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का प्रावधान स्पष्ट किया गया। है। देशीयकरण द्वारा नागरिक बनने का अर्थ लंबे निवास के आधार पर किसी देश का नागरिक बन जाने से है जो व्यक्ति जन्म, वंश, वैवाहिक संबंध तथा भारतीय मूल जैसे आधारों के अभाव में पहले तीनों वर्गों में शामिल नहीं हो पाते, उनके लिये देशीयकरण का विकल्प है। केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति, जो अवैध अप्रवासी नहीं है, को देशीयकरण का प्रमाणपत्र जारी कर सकती है. यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो-

(क) वह किसी ऐसे देश का नागरिक या प्रजा नहीं है जहाँ भारतीय नागरिकों के देशीयकरण द्वारा नागरिक बनने पर रोक लगाई गई है;

(ख) यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन वचन देता है कि भारत में नागरिकता का आवेदन स्वीकृत होने पर वह उस देश की नागरिकता को त्याग देगा;

(ग) वह पिछले 12 महीनों से भारत में निवास कर रहा है या भारत सरकार की सेवा में है या आंशिक तौर पर दोनों स्थितियों में रहा है;

(घ) उक्त 12 महीनों की अवधि से एकदम पहले के 14 वर्षों में वह कम-से-कम 11 वर्ष भारत में रहा है या भारत सरकार की सेवा में रहा है या आंशिक तौर पर दोनों स्थितियों में रहा है;

(ङ) वह अच्छे चरित्र का है;

(च) वह संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से किसी एक का पर्याप्त ज्ञान रखता है;

(ङ) राज्यक्षेत्र के सम्मिलित किये जाने पर (धारा-7) : यदि कोई राज्यक्षेत्र भारत में सम्मिलित किया जाता है तो भारत सरकार विधि बनाकर यह घोषित करती है कि उस क्षेत्र के कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे तथा उन्हें किस तिथि से भारत का नागरिक माना जाएगा। पुदुच्चेरी के विलय की दशा में नागरिकता (पांडिचेरी) आदेश, 1962 जारी किया गया था।

- **नागरिकता की समाप्ति (Termination of Citizenship) :** नागरिकता अधिनियम, 1955 में नागरिकता की समाप्ति से संबंधित उपबंध भी स्पष्ट किये गए हैं। इसकी धाराएँ 8, 9 तथा 10 बताती हैं - कि किसी व्यक्ति की नागरिकता किन स्थितियों में समाप्त हो सकती है। ऐसी तीन स्थितियाँ बताई गई हैं- परित्याग, बर्खास्तगी या वंचित किये जाने पर।

नागरिकता की समाप्ति (Termination of Citizenship)	
नागरिकता का परित्याग	● पूर्ण आयु व क्षमता का कोई भी भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है। ● ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकती है।
पर्यावसान	● ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ● किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वत: ही समाप्त हो जाएगी।
वंचित किये जाने पर	● यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती, जब भारत सरकार युद्धरत हो अर्थात् किसी युद्ध में शामिल हो और केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान न कर दे। ऐसा भारतीय नागरिक, जो देशीयकरण (By Naturalisation) या पंजीकरण द्वारा (By Registration) भारत का नागरिक बना है, वह केंद्र सरकार के आदेश वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर द्य किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है, यदि- ● उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु किसी छल का/झूठे तथ्यों का प्रयोग कर वास्तविक तथ्य छिपाए गए हों। ● भारत के संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की हो। ● किसी युद्ध में जब भारत शामिल हो तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किये जाने पर, जो राष्ट्र-विरोधी हो । ● नागरिक के रूप में पंजीकरण और देशीयकरण के बाद। 5 वर्षों में व्यक्ति को अन्य देश में 2 वर्ष का कारावास । ● नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो।

तुलना का आधार	अनिवासी भारतीय-NRIS	भारतीय मूल का व्यक्ति-PIO	भारत के समुद्रपारीय नागरिक-OCI
नागरिकता	भारतीय नागरिक	विदेशी नागरिक	विदेशी नागरिक
साधारण निवास	विदेश में	विदेश में	विदेश में
अर्हता	विदेशों में लंबे समय तक रहने वाला भारतीय नागरिक।	ऐसा विदेशी नागरिक, जिसने कभी भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो।	वह विदेशी 'नागरिक, जो 26 जनवरी, 1950 को भारत का नागरिक होने के लिये अर्ह था; या इस तिथि या इसके बाद कभी भी भारतीय नागरिक था; या किसी क्षेत्र का नागरिक था जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो; वह तथा उसके पुत्र/पुत्री, पोता/पोती, नाती/नातिन इस दर्जे के लिये अर्ह हैं।
		जिसके माता-पिता, नाना-नानी/दादा-दादी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत परिभाषित भारत का नागरिक रहा हो; अथवा किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी था, जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो।	शर्त यह है कि वे ऐसे देश के नागरिक हों जो किसी-न-किसी रूप में दोहरी नागरिकता स्वीकार करते हों।

- **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 (Citizenship (Amendment) Act, 2015] :** नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 के माध्यम से नागरिकता संबंधी कानूनों में प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण को अधिक सरल (उदार) बनाने के साथ उनसे जुड़े प्रावधानों को लागू करने में आ रही खामियों को हल करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा 6 जनवरी, 2015 से नागरिकता (संशोधन अधिनियम, 2015 को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया, जिसके तहत नागरिकता अधिनियम, 1955 में निम्न संशोधन किये गए हैं–
- भारतीय नागरिकता के लिये भारत में लगातार एक वर्ष तक रहना अनिवार्य है, लेकिन अगर केंद्र सरकार संतुष्ट है तो विशेष परिस्थितिय में इसमें छूट दी जा सकती है। इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों में उनका लिखित विवरण दर्ज करने के उपरांत विशेष 12 माह के लिये छूट दी जाएगी, जो अधिकतम 30 दिनों के लिये भिन्न-भिन्न अंतरालों में दी जाएगी।
- भारतीय नागरिकों के ओ.सी. आई. नाबालिग बच्चों के प्रवासी भारतीय के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था को उदार बनाया जाएगा।
- भारतीय नागरिकों के बच्चों, पोते-पोतियों (Grandchildren) या परपोते-पोतियों (Great grandchildren) को प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण का अधिकार होगा।
- कुछ शर्तों के साथ धारा 7A (Section-7A) के तहत पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिक के पति/पत्नी या किसी भारतीय नागरिक के पति/पत्नी के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था।
- अब PIO कार्ड योजना को समाप्त कर दिया गया है और जारी सभी PIO कार्डों को अब OCI कार्डधारकों का दर्जा प्राप्त हो गया।

  अत: पी.आई. ओ. कार्डधारकों को प्राय: वे सभी अधिकार दे दिये गए हैं जो ओ.सी.आई. कार्डधारकों को दिये जाते थे। ये लाभ, निम्नलिखित है-
- बहु-उद्देशीय जीवनपर्यंत वीजा (Multipurpose] multiple entry lifetime visa) जिसमें बार-बार आने की अनुमति शामिल है।
- किसी भी अवधि तक भारत में प्रवास करने पर विदेश पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराने से छूट।
- कृषि संपत्ति के अर्जन को छोड़कर वे सभी आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षिक सुविधाएँ जो अनिवासी भारतीयों (NRIs) को दी जाती हैं।
- अब यह कार्ड भारतीय नागरिकों या ओ.सी. आई. कार्डधारकों के विदेशी विवाह-संबंधी (Foreign spouses) को भी दिया जा सकेगा, किंतु शर्त है कि उनका विवाह संपन्न हुए 2 वर्षों का समय बीत चुका हो। उनके विवाह संबंधी को यह कार्ड दिये जाने से पहले सुरक्षा जाँच भी की जाएगी।

अगर किसी ऐसे व्यक्ति का विवाह भंग हो जाता है तो उसके विवाह संबंधी तथा उनसे उत्पन्न अवयस्क बच्चों का कार्ड अपने आप रद्द हो जाएगा।

- **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 [Citizenship (Amendment) Act, 2019] :** भारतीय संविधान के भाग-2 में अनुच्छेद-5 से लेकर अनुच्छेद-11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। इन अनुच्छेदों में मूल रूप से आजादी के तुरंत बाद की परिस्थितियों के अनुरूप प्रावधान किये गए हैं तथा शेष के लिये संसद को शक्ति दी गई है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के लिये विधि बनाए। अनुच्छेद-11 के तहत प्राप्त इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने श्नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया तथा इस संबंध में विस्तृत प्रावधान किये। वर्तमान संशोधन भी इसी अधिनियम से जुड़ा है। वर्तमान भारतीय विधि द्वारा कोई व्यक्ति जन्म पंजीकरण, देशीयकरण अथवा राज्यक्षेत्र के समावेशन द्वारा नागार प्राप्त कर सकता है।

  नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से नागरिक अधिनियम, 1955 में छठी बार संसोधन किया गया है। यह अधिनियम 11 दिसंबर, 2019 को प्रभावी हुआ। इस संशोधन अधिनियम के बिंदु इस प्रकार हैं-
- बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म से संबंध रखने वालों को अवैध आप्रवासी नहीं माना जाएगा तथा उन्हें नागरिकता देने का प्रावधार है। अधिनियम में इन देशों के मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दे का जिक्र नहीं है, क्योंकि वे वहाँ अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं आते हैं।
- अर्पित 6 धर्मों से संबंध रखने वाले जिन प्रवासियों ने 31 दिसंबर, 2014 की तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, वे भारतीय नागरिकता हासिल कर सकेंगे।
- देशीयकरण प्रक्रिया (Naturalisation process) के तहत नागरिकत प्रदान की जाएगी।
- जिस तिथि को प्रवासी ने भारत में प्रवेश किया उसी तिथि से उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अब 11 साल की बजाय 5 साल भारत में रहने पर ही इन प्रवासियों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी।
- मूल कानून की धारा-2(b)(1) में बिना पासपोर्ट और वैध यात्र दस्तावेज के भारत में प्रवेश करने वालों को अवैध प्रवासी कहा गया। है लेकिन इस संशोधित कानून में उन्हें वैध माना गया है।
- इनके विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर उन पर पहले से चल रही सभी कानूनी कार्रवाई स्वत: खत्म हो जाएगी।
- संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होने के कारण इस संशोधित कानून से असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र को बाहर रखा गया है।
- यह संशोधन बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्यूलेशन 1873 के तहत इस लाइन वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होगा। इस प्रावधान के दायरे में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड आते हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. नागरिकता (संशोधन) कानून कब पारित हुआ?
(A) 11 दिसंबर, 2018 (B) 11 दिसंबर, 2019
(C) 11 अक्टूबर, 2019 (D) 11 अक्टूबर, 2020
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

2. निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिये आवश्यक नहीं है?
(A) वंशानुक्रम (B) जन्म
(C) अधिगृहीत संपत्ति (D) देशीयकरण

3. भारतीय नागरिकता नहीं प्रापत की जा सकती है–
(A) जन्म द्वारा
(B) देशीयकरण
(C) किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा
(D) भारतीय बैंकों में धन जमा करके
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

4. भारत में कौन-सा पद के लिये जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है?
(A) राष्ट्रपति (B) प्रधानमंत्री
(C) मुख्य निर्वाचन आयुक्त (D) उपराष्ट्रपति
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

5. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिये शक्ति प्रदान करता है?
(A) अनुच्छेद-8 (B) अनुच्छेद-9
(C) अनुच्छेद-10 (D) अनुच्छेद-11
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

6. नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्रापत की जा सकती है?
(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

7. किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, यदि वह–
(A) उद्भव (वंश) से नागरिक है।
(B) देशीयकरण से नागरिक है।
(C) जन्म से नागरिक है।
(D) वह भारतीय सशस्त्र सेना में कार्यरत है।
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

8. भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं?
(A) भाग I (B) भाग II
(C) भाग VII (D) भाग IX

9. भारतीय संविधान के कौन-से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं?
(A) अनुच्छेद 3 से 10 (B) अनुच्छेद 4 से 11
(C) अनुच्छेद 5 से 11 (D) अनुच्छेद 6 से 11

10. भारतीय संविधान निम्न में से कौन-सी नागरिकता प्रदान करता है?
(A) दोहरी नागरिकता (B) एकल नागरिकता
(C) उपरोक्त दोनों (D) उपरोक्त में कोई नहीं

11. भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन-सी सही है?
(A) राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता
(B) राज्य की एकल नागरिकता
(C) संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता
(D) भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता

12. भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है–
(A) जन्म द्वारा
(B) देशीकरण द्वारा
(C) किसी भू-भाग के सम्मिलिन द्वारा
(D) भारतीय बैंक में धन जमा करके

13. भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, यदि वह–
1. भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है।
2. स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है।
3. किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है।
4. सरकार की आलोचना करता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए
कूट :
(A) 1, 2 और 3 (B) 2, 3 और 4
(C) केवल 1 और 2 (D) केवल 1 और 4

14. भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. भारत के केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है।
2. जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है।
3. जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उेस इससे वंचित नहीं किया जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 3 (D) 2 और 3

15. नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है?
(A) एक अवयस्क बच्चा, जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं।
(B) भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी।
(C) वे भारतीय, जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए।,
(D) एक व्यक्ति का परपोता/परपोती, जो दूसरे देश का नागरिक है, किंतु जिसके पितामह/पितामही, मातामह/मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे।

16. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. नगालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 A से लेकर 371 I अंतर्विष्ट किए गए।
2. भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र (संघ और राज्य) हैं, किन्तु नागरिकता इकहरी है।
3. कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1, 2 और 3 (B) 1 और 3
(C) केवल 3 (D) केवल 1

17. किस देश में दोहरी नागरिकता (Policy of Dual Citizenship) का सिद्धांत स्वीकार किया गया है?
(A) भारत (B) कनाडा
(C) ऑस्ट्रेलिया (D) संयुक्त राज्य अमेरिका

18. निमन में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है?
(A) चुनाव आयोग
(B) राष्ट्रपति
(C) संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से
(D) संसद

19. नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे?
(A) 5 वर्ष (B) 3 वर्ष
(C) 7 वर्ष (D) 9 वर्ष
(E) 10 वर्ष

20. निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है?
(A) न्यायालय (B) राष्ट्रपति
(C) लोकसभा (D) केंद्रीय सरकार
(E) राज्य सरकार

21. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 संसद से कब पारित किया गया?
(A) 10 दिसंबर, 2019 (B) 11 दिसंबर, 2019
(C) 12 दिसंबर, 2019 (D) 13 दिसंबर, 2019

22. नागरिकता (संशोधन) कानून कब पारित हुआ?
(A) 11 दिसंबर, 2018 (B) 11 दिसंबर, 2019
(C) 11 अक्टूबर, 2019 (D) 11 अक्टूबर, 2020
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

23. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 का उद्देश्य क्या है?
(A) बांग्लादेशी अवैध आप्रवासियों को हटाना
(B) वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना
(C) विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना
(D) अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों की नागरिकता प्रदान करना
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

●●●